103

2/R/243/94

श्री कमोंदी तनय सोन्धा कुम्हार निवासी ग्राम हरदुआ, तहसील नागोद, जिला सतना म०प्र० ---------- ------ आवेदक

बनाम

१- श्री मदी विधनिया तनय लल्लू कुम्हार निवासी ग्राम हरदुआ, तहसील नागोद, जिला सतना म०प्र०

२- पटवारी हल्का नं० ३३ ग्राम अमरैही, तहसील नागोद, जिला सतना म०प्र० ------------------ अनावेदकगण

श्री रामस्वरूप पाण्डे अभिभाषक द्वारा केम्प रीवा पर आज दिनांक 19-8-94 को प्रस्तुत किया गया। 19-8-94

प्रार्थनापत्र निगरानी विरुद्ध आदेश आर्डर सीट दिनांक २७-६-९४ पारित द्वितीय अपील प्रकरण क्र० ४७। ८४-८५ बाबत भूमि खसरा क्र० २०१ के २।३ हिस्से स्थित ग्राम तिमरा, अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भूराजस्व संहिता सन १९५९ ईस्वी।

मान्यवर,

प्रार्थनापत्र निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-

१- यह कि आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

२- यह कि अधीनस्थ न्यायालयनेयह माना है कि तहसील न्यायालय मे यह प्रकरण पटवारी की रिपोर्ट पर धारा ११५ म०प्र० भूराजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार प्रारम्भ हुआ, किन्तु

-२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 849/94 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-8-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 47/1984–85 में पारित आदेश दिनांक 27.06.94 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नागौद, जिला–सतना के समक्ष पटवारी ने हल्का नं 33 के रिर्पोट आधार पर पंचनामा, खसरे की नकल एवं अन्य दस्तावेज सहित प्रतिवेदन पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम तिघरा स्थित विवादित भूमि सर्वे नं0 209 रकबा 0.38 हे0 का भूमि स्वामी आवेदक छकौड़ी है जिसके रकबे 2/3 हिस्से में जरिये हिस्सा बांट वर्ष 1983–84 में विधनियां तनय लल्लू कुम्हार का कब्जा पाया गया । उपरोक्तानुसार प्रमाणीकरण किये जाने का निवेदन किया गया । नायब तहसीलदार नागौद ने अपने प्रकरण क्र0 4/अ–6–अ/83–84 में पारित आदेश दिनांक 30.06.84 से हिस्सा बांट वर्ष 1983–84 में विधनियां तनय लल्लू कुम्हार का कब्जा प्रमाणित किया गया है । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, नागौद के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 117/अ–6–अ/83–84 दर्ज होकर	

दिनांक 29.9.84 को आदेश पारित नायब तहसीलदार, नागौद के आदेश को यथावत रखा है । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक ने द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष पेश की । प्रकरण क्रमांक 47/1984–85 पंजीबद्ध कर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.94 से आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को संदेहस्पद मानते खारिज किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि तहसील न्यायालय में यह प्रकरण पटवारी की रिर्पोट पर धारा 115 म0प्र0 भ–राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ हुआ, किन्तु तहसील न्यायालया ने न तो अपने आदेश पत्रिका में ही ऐसा उल्लेख किया है, और सूचना आवेदक को भेजी गई है, उसमें ही इस प्रकार का उल्लेख है । संहिता की धारा–115 के प्रावधारों के अनुसार जिस प्रकार की लिखित सूचना देने का प्रावधान है, उस प्रकार की सूचना भी आवेदक को नहीं दी गई । आवेदक का कब्जा निरन्तर दर्ज चला आ रहा है और वह भूमिस्वामी भी दर्ज है । अनावेदक का कब्जा कभी नहीं था। आवेदक को विधिवत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया । अपर आयुक्त रीवा ने जिन आधारों पर समवर्ती आदेश निकाला है वह अग्राह्य साक्ष्य को ग्रहण कर निकाले गये है, अथवा आवेदक के बयान को आधार माना गया है । आवेदक का जो बयान पत्रावली में लगा है उसके बारे में उसे जानकारी ही नहीं

है । क्योंकि आवेदक पढ़ा लिखा नहीं है, बयान पूर्व में ही लिखकर रखा गया था, उसमें पेशी होने की बात कहकर उसका निशानी अंगूठा लगा लिया है । बयान पढ़ कर सुनाया नहीं गया है, जिसके सम्बन्ध में दोनों न्यायालयों में समवर्ती आदेश पारित किया है । आवेदक के अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया है कि प्रश्नाधीन भूमि में सन् 1983–84 के पूर्व कभी भी अनावेदक का कब्जा खसरे में दर्ज नहीं हुआ । सर्वप्रथम वर्ष 1983–84 में पटवारी हल्का द्वारा अनावेदक का कब्जा लिखना व बताना अपने आप में विद्वेषपूर्ण था। अनावेदक ने अपने शपथ–पत्र पंर दिये गये बयान में सौ रुपया पटवारी को देना और अपना कब्जा दर्ज कराना बताया है । इस कारण इसे दुराचरण एवं अनाधिकृत कार्य मानना चाहिये, किन्तु उसको प्रमाणित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है । खरीद के समय से 2/3 हिस्से पर अनावेदक का कब्जा व स्वत्व होना निर्णीत किया है, इस प्रकार तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी ने विवाद के बाहर निर्णय दिया है और उसे पुष्टी करने में अपर आयुक्त द्वारा भूल की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक क्र0 1 के अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक क्र0 2 की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण में वही तथ्य लिये गये है जो निगरानी मेंमो है । अतः उसे दुबारा न दोहराते हुये प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि नायब तहसीलदार नागौद, जिला–सतना के समक्ष पटवारी ने हल्का नं 33 के रिर्पोट आधार पर पंचनामा, खसरे की नकल एवं अन्य दस्तावेज सहित प्रतिवेदन पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम तिघरा स्थित विवादित भूमि सर्वे नं0 209 रकबा 0.38 हे0 का भूमि स्वामी आवेदक छकौड़ी है जिसके रकबे 2/3 हिस्से में जरिये हिस्सा बांट वर्ष 1983–84 में विधनियां तनय लल्लू कुम्हार का कब्जा पाया गया । उपरोक्तानुसार प्रमाणीकरण किये जाने का निवेदन किया गया । नायब तहसीलदार नागौद मे अपने प्रकरण क्र0 4/अ–6–अ/83–84 में पारित आदेश दिनांक 30.06.84 से हिस्सा बांट वर्ष 1983–84 में विधनियां तनय लल्लू कुम्हार का कब्जा प्रमाणित किया है । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय नागौद के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की, जो निरस्त की गई । तदुपरांत आवेदक ने द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । यहां भी आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील को संदेस्पद मानकर खारिज किया गया । अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक के द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

6/ आवेदक का तर्क है कि प्रकरण संहिता की धारा 116 के अंतर्गत था, किन्तु रिकॉर्ड को देखने के उपरांत पाया गया कि यह प्रकरण पटवारी की रिर्पोट पर धारा 115 में आरंभ हुआ है । अतः आवेदक का यह तर्क अमान्य है । तहसील न्यायालय ने साक्ष्य तथा प्रतिपरीक्षण उपरांत आदेश पारित किया है जिसमें किसी

प्रकार का कोई संदेह प्रतीत नहीं होता। अनुविभागीय अधिकारी नागौद तथा अपर आयुक्त रीवा ने भी तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष निकाले है, जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । यहां पर यह उल्लेखनीय है कि खसरे में कब्जा की प्रविष्टि कालम नं0 12 में की जाती है, तद्नुसार उक्त प्रविष्टि मान्य की जाती है, किन्तु यदि उभयपक्षों के मध्य स्वत्व का विवाद विद्यमान है तो संबंधित पक्षकार सिविल न्यायालय के स्वत्व का निराकरण कराने हेतु स्वतंत्र है। क्योंकि राजस्व अधिकारी सिविल न्यायालय के आदेश के पालन करने करने हेतु प्रतिबद्ध है ।

7/ उपरोक्त तथ्य के परिपेक्ष्य में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुये, निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य